न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अंतिम डिक्री ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :– गोविन्द सिंह भीचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 46/2020 राजस्व वाद

उनवान

1. अरविन्द कुमार पिता मोहन लाल पोखरना निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।
2. धनराज पिता मोहन लाल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा–फौत
   2/1 सुशील कुमार पिता धनराज महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
   2/2 सतीश कुमार पिता धनराज महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. किशन पिता मोहन लाल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 लादी बेवा मोहन लाल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. भैरू लाल पिता चन्दन मल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा शाखा माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

दिनांक 03.01.2023

वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बैरा पटवार हल्का बैरा भू–अभिलेख निरीक्षक बैरा तहसील बनेड़ा के खाता सं. 229 के आराजी नं. 813 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व आराजी नं. 2536/813 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा तथा खाता सं. 230 के आराजी नं. 1357 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नं. 1615 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नं. 1616 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नं. 1617 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नं. 2362 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि में सह खातेदार के रूप में सम्पत पिता मोहनलाल के नाम के स्थान पर उसी हक हिस्से अनुसार अरविन्द कुमार पिता मोहनलाल प्रतिस्थापित करने के आदेश पारित किये जाते है तथा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। मुताबिक निर्णय अन्तिम डिक्री प्रदत्त की जाती है। तदनूसार पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को आदेशित किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 03.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(गोविन्द सिंह भीचर) 03/01/23
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– गोविन्द सिंह भीचर आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 46/2020 राजस्व वाद

उनवान

1. अरविन्द कुमार पिता मोहन लाल पोखरना निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।
2. धनराज पिता मोहन लाल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा–फौत
   2/1 सुशील कुमार पिता धनराज महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
   2/2 सतीश कुमार पिता धनराज महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. किशन पिता मोहन लाल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 लादी बेवा मोहन लाल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. भैरू लाल पिता चन्दन मल महाजन निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा शाखा माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

दिनांक 03.01.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 90 व 188 के अन्तर्गत दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र अनुसार ग्राम बैरा पटवार हल्का बैरा भू–अभिलेख निरीक्षक बैरा तहसील बनेड़ा के खाता सं. 229 के आराजी नं. 813 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व आराजी नं. 2536/813 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा तथा खाता सं. 230 के आराजी नं. 1357 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नं. 1615 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नं. 1616 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नं. 1617 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नं. 2362 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 अनुसार मोहन लाल पिता बालूराम महाजन के नाम दर्ज थी।

मोहन लाल की मृत्योपरान्त दौराने नामांतरण वादी का नाम अरविन्द कुमार पिता मोहन लाल महाजन के बजाय सम्पत पिता मोहन लाल महाजन दर्ज हो गया। जबकि वादी का असली नाम अरविन्द कुमार पिता मोहन लाल महाजन है तथा उपरोक्त आराजीयात पर वादी अरविन्द कुमार का ही कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में जब वादी ने उपरोक्त आराजीयात संबंधी नकले/दस्तावेज निकलवाये तो जानकारी हुई की वादी का नाम अरविन्द कुमार की जगह सम्पत पिता मोहन लाल महाजन दर्ज रेकार्ड है।

03/01/23

अतः जरिये उपरोक्त वाद वादी अपना नाम सम्पत पिता मोहन लाल महाजन बजाय असली नाम अरविन्द कुमार पिता मोहनलाल महाजन पोखरना दर्ज रेकार्ड करवा कर डिक्री पारित करवाने हेतु निवेदन किया।

वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में कैम्प बैरा में उपस्थित आए परन्तु बाद में उपस्थित नहीं आये। हालांकि दौराने साक्ष्य वादी, प्रतिवादी सं. 2/1, 2/2 व 4 ने स्वंय उपस्थित होकर शपथ पत्र इस आशय के प्रस्तुत किये की वादी 2/1 व 2/2 के चाचा है व वादी को अच्छी तरह से जानते है व उनका वास्तविक नाम अरविन्द कुमार ही है परन्तु हमारे दादा की मृत्यु उपरान्त नामांतरण में हमारे चाचा अरविन्द कुमार का नाम सम्पत दर्ज हो गया था तथा अगर उनका नाम अरविन्द कुमार दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त के अलावा वादी ने स्वंय साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र स्वंय उपस्थित होकर इस आशय से पेश किया की वह मोहनलाल पिता बालूराम का पुत्र है तथा अपने पिता की मृत्यु उपरान्त खोले गए नामान्तकरण में उसका नाम अरविन्द कुमार की बजाय सम्पत दर्ज कर दिया गया था और वह स्वंय ही उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी ने अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड व पेन कार्ड भी प्रस्तुत किया तथा जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 भी प्रस्तुत की।

वकील वादी ने अन्य साक्ष्य के रूप में वादी की माता श्रीमती लादी उर्फ लाडू देवी बेवा मोहनलाल प्रतिवादी सं. 4 का भी शपथ पत्र पेश किया तथा वह स्वंय भी न्यायालय में उपस्थित हुई तथा शपथ पूर्वक बताया की वादी उसका ही पुत्र है व सम्पत व अरविन्द कुमार एक ही व्यक्ति है व उसके पिता मोहन लाल है। पैरोकार सरकार भी स्वंय दौराने बहस उपस्थित व निवेदन किया की उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त सभी के अवलोकन व कानूनी प्रावधानों व दृष्टांतो के मध्यनजर यह स्पष्ट है कि मोहनलाल पिता बालूराम महाजन के मृत्युपरांत खोले गए नामान्तरण सं. 711 से उनके तीन पुत्रो धनराज, किशन व सम्पत तथा लादी बेवा मोहन के नाम वादग्रस्त आराजीयात दर्ज हुई।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों जिसमें वादी की माताजी व एक अन्य भाई धनराज के 2 पुत्र व धनराज की पत्नी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से भी यह प्रतीत होता है की वादी अरविन्द कुमार का नाम नामान्तकरण में अरविन्द कुमार की बजाय सम्पत दर्ज हो गया जो कि मोहनलाल की पत्नी लादी द्वारा भी प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट है कि सम्पत व अरविन्द एक ही है तथा वह उसका पुत्र है तथा मृतक मोहनलाल का भी पुत्र है तथा धनराज का भाई है।

अतः प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मेरा यह मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत अरविन्द कुमार पिता मोहनलाल पोखरना उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में सम्पत पिता मोहनलाल की जगह अरविन्द कुमार पिता मोहनलाल महाजन पोखरना दर्ज किया जाना उचित है व धारा 88 के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार के रूप में सम्पत पिता मोहनलाल की बजाय अरविन्द कुमार पिता मोहनलाल दर्ज रेकार्ड किया जाना उचित है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने से ग्राम बैरा पटवार हल्का बैरा भू–अभिलेख निरीक्षक बैरा तहसील बनेड़ा के खाता सं. 229 के आराजी नं. 813 रकबा 2

03/01/23

15 बिस्वा व आराजी नं. 2536/813 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा तथा खाता सं. 230 के आराजी नं. 1357 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नं. 1615 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नं. 1616 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नं. 1617 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नं. 2362 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि में खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत सम्पत पिता मोहनलाल के बजाय अरविन्द कुमार पिता मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषत किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा द्वारा उक्त आदेशानुसार रेकार्ड में अमदरामद की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया व डिक्री बहक वादीगण पृथक से जारी की जाती है।

03/01/23

(गोविन्द सिंह भीचर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा